

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक— प्र03—विविध—15/2021
प्रेषक,

4484

खाद्य/पटना, दिनांक— 12/10/2023

विनय कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय:— आपूर्ति सेवा संवर्ग के प्रभारी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को विहित पदीय शक्तियाँ प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:— विभागीय पत्रांक—1818 दिनांक 25.04.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा अनुमंडल स्तर पर सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा प्रखंड स्तर पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का प्रभार बिहार आपूर्ति सेवा के वरीयतम प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक को देने का निदेश निर्गत किया गया है।

उक्त के क्रम में यह स्पष्ट करना है कि उक्त प्रभारी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी में सभी पदीय शक्तियाँ यथा— प्रवेश, तलाशी, जप्ती एवं जाँच आदि निहित होंगी।

यह निदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:— प्र03—विविध—15/2021 4484 खाद्य/पटना, दिनांक— 12/10/2023
प्रतिलिपि:— सभी प्रमंडलीय आयुक्त/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार/सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी आपूर्ति निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:— प्र03—विविध—15/2021 4484 खाद्य/पटना, दिनांक— 12/10/2023
प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव कोषांग/विशेष सचिव कोषांग/विशेष कार्य पदाधिकारी कोषांग एवं आई0टी0 प्रबंधक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।